

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. मुख्यालय, 2—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

> समस्त शाखाएं, उत्तर प्रदेश।

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०. প্রি पीबीएक्स 0522—4151200

🖨 फैक्स 0522—2629284 ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रॉक : बैंकिंग / एफ-321 / 2024- 25/432

दिनाँक : 22 जनवरी, 2025

विषयः बैंक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू करने के सम्बन्ध में।

उ०प्र० शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग—2 के पत्रांक—49 / 2024 / 1650 / 477 / 18—2—2024, दिनांक—04.10.2024 के कम में बैंक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान निम्नवत् लागू किया जाता है:—

1.	उददेश्य	उ०प्र० के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना।
2.	योजनान्तर्गत ऋण राशि	
3.	ऋण की प्रकृति	<ul> <li>कम्पोजिट ऋण (टर्म लोन एवं कैश केडिट)</li> <li>प्रथम चरण में कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा।</li> </ul>
		<ul> <li>द्वितीय चरण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्क शॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।</li> </ul>
		<ul> <li>परियोजना लागत में भूमि/भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा।</li> </ul>
4.	ऋण की अवधि	• प्रथम चरण हेतु 04 वर्ष (48 माह मोराटोरियम पीरियर्ड सम्मिलित करते हुए)
		<ul> <li>प्रथम चरण में 06 गाह का मोराटोरियम पीरियं उपलब्ध</li> </ul>

Einsteinsen and voren objeter an a soon yaardin joon old lie doc. .

		<del>\</del>
		होगा।
		• द्वितीय चरण हेतु 03 वर्ष (36 माह)
		• द्वितीय चरण हेतु मोराटोरियम पीरियड उपलब्ध नहीं होगा।
		<ul> <li>कैश केंडिट ऋण की अविध 01 वर्ष होगी तथा 01 वर्ष पश्चात् कैश केंडिट ऋण सीमा एमएसएमई परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की ऋण अविध अनुसार रिन्यू की जायेगी।</li> </ul>
5.	मार्जिन मनी :	लाभार्थी को निम्नानुसार मार्जिन स्वयं वहन करना होगा:
		• सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत।
		अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी को परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत।
		अनुसूचितजाति / जनजाति / दिव्यांगजन को परियोजना लागत 10 प्रतिशत
		<ul> <li>प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों (बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल) तथा भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश यथा—चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराईच के आवेदकों/लाभार्थियों को भी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करना होगा।</li> </ul>
		<ul> <li>द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी अर्थात् बैंक मार्जिन मनी ऋणियों से लेगा।</li> </ul>
6.	अनुदान	<ul> <li>प्रथम चरण हेतु लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू० 5.00 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक एण्डेड होगा।</li> </ul>
		• द्वितीय चरण हेतु कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी।
7.	ब्याज उपादान (सब्सिडी)	<ul> <li>परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू० 5.00 लाख जो भी कम हो, के सापेक्ष लिये गये ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा।</li> </ul>
		• द्वितीय चरण हेतु ब्याज उपादान 03 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा ऋण की धनराशि (प्रथम चरण में लिये गये ऋण का दोगुना अथवा रू० 7.50 लाख जो भी कम हो) पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत होगा।
		• ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर दिया जायेगा।

В Цэнги лим В<3 Rimukhyemantri yuva udyarni vikas abhiysan\myuva circular.doc

*		
8.	सीजीटीएमएसई गारण्ट कवर	<ul> <li>प्रथम चरण में ऋण पर सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर उपलब्ध रहेगा, इस हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
		<ul> <li>द्वितीय चरण में ऋण पर सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर उपलब्ध रहेगा, इस हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 03 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
9.	ऋण की पात्रता	<ul> <li>आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।</li> <li>आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा—आठ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण एवं समकक्ष को वरीयता।</li> <li>आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं यथा— विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलिकेट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ०प्र० स्किल डेवलपमेण्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।</li> <li>आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का (Defaulter) चूककर्ता नहीं होना चाहिए।</li> <li>आवेदक द्वारा पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी से सम्बन्धित सिक्सडी प्राप्त न की गयी हो।</li> <li>आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।</li> </ul>
	अन्य <b>शर्ते</b>	<ul> <li>ऋण डिफाल्ट होने की स्थिति में अथवा किश्तों की अदायगी में लाभार्थी द्वारा देर किये जाने पर लगाये जाने वाले 2 प्रतिशत पैनल इन्ट्रस्ट में ब्याज उपादान शामिल नहीं होगा।</li> <li>परियोजना स्थापित न करने अथवा 04 वर्षों की समयाविध में परियोजना बन्द होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की धनराशि वापस ले ली जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 04 वर्षों तक कार्यरत होने के उपरान्त उसके खाते में समायोजित की जायेगी।</li> <li>04 वर्षों की अविध में मूलधन की पैनल इन्ट्रेस्ट सहित वापसी करने वाला लामार्थी योजनान्तर्गत</li> </ul>

٠.٠

Floring damage G

द्वितीय चरण वित्त पोषण का पात्र होगा।

- प्रथम स्टेज के वित्त पोषण के लाभार्थी जिनके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की गयी, या डिफाल्ट की गयी हो, द्वितीय चरण के लिए अपात्र माने जायेंगे।
- डिजीटल लेन—देन के सापेक्ष रू० 1.00 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम रू० 2000.00 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति इकाई/लाभार्थी उ०प्र० सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- मिशन के अन्तर्गत कुल वास्तविक व्यय अथवा देय अनुदान की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत (जो भी कम हो) प्रशासनिक व्यय के रूप में शामिल किया जायेगा।
- ऐसी परियोजनायें ऋण/अनुदान हेतु अनुमन्य नहीं होगी, जो निगेटिव सूची में निम्नानुसार हों:—
  - 1. तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला आदि
  - अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद आदि
  - 3. पटाखों का विनिर्माण।
  - प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइकॉन से कम) अथवा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग।
  - समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।
- पोर्टल WWW.DIUPMSME.UPSDC.GOV.IN and WWW. MSME.GOV.IN के माध्यम से जो ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होगें उनका भलीमॉित अप्रेजल शाखा के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात ऋण कमेटी ऋण को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगी तथा उक्तानुसार पोर्टल में उसी दिन ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में अपडेट करेगी।
- जो मैन्यूफ़ैक्चरिंग या सेवा यूनिट किराये के भूमि/भवन में संचालित हैं या संचालित होने वाले हैं में कम से कम 06 साल या उससे अधिक की लीज़ डीड/रिजस्टर्ड किराया नामा जैसा कि परिपत्र के नोट में वर्णित है, के अनुसार प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- ऐसे मामलों में जहाँ फर्म/यूनिट जिस भूमि/भवन में चल रही है या स्थापित है अथवा स्थापित की जानी है, उसमें प्लान्ट/मशीनरी को प्राइमरी

		सिक्योरिटी (Credit Guarantee loan में) के रूप में रखा जायेगा तथा अन्य ऋणों में जो केंडिट गारण्डी से आच्छादित नहीं होगें उनमें डेढ़ गुना मूल्य की कोलेट्रल सिक्योरिटी (अचल सम्पत्ति) ली जायेगी या एक गुना मूल्य का एफडीआर, एनएससी, किसान विकास पत्र लेकर ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा इन्हें बैंक के पक्ष में बन्धक कराना होगा।
11.	कियान्वयन संस्था	• योजना का नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश होगा।
		<ul> <li>योजना का कियान्वयन एवं संचालन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।</li> </ul>
12.	आवेदन की प्रकिया	<ul> <li>लाभार्थी के आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर आयेगें, उनको ऋण स्वीकृत किया जायेगा।</li> <li>आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित उद्यम की परियोजना रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।</li> </ul>
13. Я	लेखीकरण	<ul> <li>व्यवसाय के सम्बन्ध में डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) 04 वर्ष की, 04 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्स शीट, केवाईसी डॉक्यूमेण्ट जिसमें उद्योग आधार नम्बर, पैन नम्बर (फर्म एवं फर्म को संचालित करने वाले व्यक्तियों) आदि प्राप्त किया जायेगा।</li> <li>ऋण का वित्तीय अप्रेजल एवं टेक्नीकल अप्रेजल सीए के माध्यम से कराया जायेगा।</li> <li>केश पलो स्टेटमेण्ट प्राप्त किया जायेगा।</li> <li>प्रति माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 10 तारीख तक यूनिट/फर्म/उद्यमी से स्टॉक स्टेटमेण्ट का सर्टिफिकेट, जो उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि सही है, लिया जायेगा।</li> </ul>
14. फीस		<ul> <li>प्रशासनिक शुल्क रू० 200.00 + जीएसटी</li> <li>प्रोसेसिंग फीस 0.50 प्रतिशत या न्यूनतम 4000.00 में से जो अधिक हो +जीएसटी सहित ऋणियों से ली जायेगी। तथा उक्त प्रोसेसिंग फीस में सी०ए० द्वारा ली जाने वाली फीस भी सम्मिलत होगी। सी०ए० द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-</li> <li>रू० 10,00,000.00 तक ऋण</li> <li>रू० 4000.00</li> </ul>

		proposals which satisfy applicable condition as stipulated in Bank's MSME Policy and circular.  • उक्त दरों में सी०ए० द्वारा फाइनेन्शियल एवं टैक्निकल एप्रेजल, एमएसएमई ड्यू डेलीजेन्स एवं आईटीआर वेरीफिकेशन आदि किया जायेगा।  • उद्यमियों एवं उनकी फर्म/यूनिट को तथा गारण्टर्स को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।  • अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस अधिकतम रू० 2000. 00 होगी, यह प्रोसेसिंग फीस से पृथक होगी।  • स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्येवूशन फीस तथा स्टॉक का आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।
15.	वित्त पोषण की प्रकिया	<ul> <li>लाभार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल WWW.DIUPMSME. UPSDC.GOV.IN and WWW. MSME.GOV.IN के माध्यम से प्राप्त होने पर यथा आवश्यक सर्वेक्षण/अप्रेजल के उपरान्त स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल WWW.DIUPMSME. UPSDC.GOV.IN पर किये जायेगें तथा उसे तत्काल उक्त पोर्टल पर अपलोड कर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।</li> </ul>
16.	ब्याज दर	<ul> <li>10 प्रतिशत वार्षिक (सीएमआर 01 से 03 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 150 से ऊपर होने पर)</li> <li>10.25 प्रतिशत वार्षिक (सीएमआर 04 से 06 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 131 से 150 तक होने पर )</li> </ul>
17.	पुर्नभुगतान क्षमता	<ul> <li>ऋण / ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन ऋण प्राप्त करने वाली फर्म / यूनिट द्वारा दी गयी बैलेन्स शीट, प्रोजैक्टेड बैलेन्स शीट, लाभ हानि खाते का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेण्ट आदि के आधार पर सी०ए० के माध्यम से कराया जायेगा।</li> </ul>
18.	ऋण का अप्रेजल	<ul> <li>ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक / शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया</li> </ul>

- जायेगा। नामित अधिकारी या मुख्य प्रबन्धक यूनिट का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं व्यवसाय के वायबेलिटी के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत देगा।
- ऋण का वित्तीय/टेक्निकल अप्रेजल बैंक के सी०ए० के माध्यम से किया जायेगा। सी०ए० के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी जायेगी कि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। बैंक के सी०ए० की रिपोर्ट के बिना कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शाखा सी०ए० से बिजनेस की वायबेलिटी एंव ब्रेक ईवेन के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करेगी। व्यवसाय वायबेल होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

#### 19. केंडिट स्कोर की जांच

- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० के पत्रांक—96/मु0यु0वि0अ0/2024—25, दिनांक—10.01.2025 के माध्यम से निर्गत निर्देश के कम में ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेनी वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 670 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा। (सीएमआर रैन्क के सम्बन्ध में ट्रान्स यूनियन सिबिल से सुझाव मांगा गया था जिसके आधार पर सीएमआर रेटिंग निर्धारित की गयी है)
- नये उद्यमियों हेतु फिट रैन्क देखी जायेगी। फिट रैन्क की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैन्क 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैन्क 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नये उद्यमियों के मामलों में जहां सीएमआर रैन्क नहीं है वहां पर फिट रैन्क के साथ—साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पाटर्नर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया

		जायेगा।  यदि नये ऋणियों का एनटीसी स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।
	20. बीमा	<ul> <li>जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उनका आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा हेतु बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत बीमा ऋणी की लिखित सहमति प्राप्त कर, कराना होगा।</li> <li>जो ऋण Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के अन्तर्गत आच्छादित हैं, उनमें बीमा सीजीटीएमएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।</li> </ul>
21.	स्वीकृत ऋण की वसूली	<ul> <li>टर्म लोन की वसूली 48 समान किस्तों (इक्वीटेड) में ऋण की वसूली की जायेगी। वर्किंग कैपिटल ऋण की वसूली परिपत्र में ऊपर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगी।</li> </ul>
22.	ऋण अवमुक्त करने के सम्बन्ध में	बैंक द्वारा निर्धारित नियमों / शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने के पश्चात् ही टर्म लोन या कैश केडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

### आवश्यक दिशा-निर्देश

- ऋण स्वीकृत करने से पूर्व शासनादेश एवं परिपत्रानुसार मार्जिन मनी को जमा कराया जायेगा, तत्पश्चात् ऋण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश में ऋण का प्रकार कम्पोजिट लोन का है अर्थात् टर्म लोन के साथ—साथ ही कैश केडिट पोर्टल पर स्वीकृत किया जायेगा तत्पश्चात पोर्टल पर डिस्बर्स किया जायेगा, यदि पोर्टल पर ऋण स्वीकृत नहीं होता है तो ऋण कदापि स्वीकृत न किया जाय तथा अपात्र ऋण को तत्काल ही पोर्टल पर अस्वीकृत कर दिया जाय।
- पोर्टल पर लोन सेंक्शन करने से पूर्व शाखा परिपत्र एवं शासनादेश के अनुसार, स्कूटनी करेंगी तत्पश्चात् पोर्टल पर लोन स्वीकृत करने के उपरान्त पोर्टल पर ही डिस्बर्स करेंगी उसके बाद सीबीएस पर ऋण वितरण की प्रकिया की जायेगी एवं समस्त डॉक्यूमेण्ट्स एकत्र कर सुरक्षित रखे जायेंगें।
- मशीनरी, स्टाक आदि जो भी ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के माध्यम से बनाया जायेगा उसको बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट कराया जायेगा।

hyamantri yuva udyami vikas abhiyaarilmyuva circular doc

अतः उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

> (आर०के० कुलश्रेष्ठ) प्रबन्ध निदेशक

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।

प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त

योजनान्तर्गत नया जीएल कोड बनाना सुनिश्चित करें।

4. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, आईटीसेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण के लिए अलग से जीएल बनाना एव रिपोर्ट में शामिल करना तथा डिजिटल लेनदेन हेतु योजना से सम्बन्धित आवश्यक सॉफटवेयर विकसित करने तथा बैंक की वेबसाईट पर परिपत्र को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

5. समस्त महाप्रबन्धक / विभाग प्रभारी, उ०प्रo कोआपरेटिव बैंक लिo, मुख्यालय, लखनऊ।

6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

 स्टाफ आफिसर—अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के अवलोकनार्थ।

मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

25



# उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

### APPLICATION FOR MUKHYAMANTRI YUVA UDYAMI VIKAS ABHIYAN (MYUVA) FOR LOANS

1.	Name of the / Applicant	Unit																	
2.	Address of the factory /Shop/ Business																		
3.																			
Tel	ephone No.		1		П	Т	П	T	Мс	bile	No.	Ľ							
E-n	nail ID																		
4.	Category				√		SC		ST		0	ВС		Mir	ority	<b>'</b>		ene	
5.	Constitution	<b>V</b>	Pro	priet	ary	Pai	rtners	hip	Pvt. I	Ltd.	Ltd.	Con	npany	Co	-op.s	society		ny O (Spe	thers cify)
6.	Date of Estab (DD/MM/YYYY)	lishn	nent					0	P	AN I	No								
7	Details of Prop	rieto	r/Pa	rtne	rs/Di	irect	ors C	of Co	ompan	ıy*									
					First			$\Box$			Seco	nd	, ,				Thir	d	
Nan	ne		+		+	H				-	++	-					-	+	
Age	(year)				_									لبل			1		
	demic lification																		
	idential ress	1										1							
		+		+			+			+	+	+	+	H	+				
														$\parallel$					
PAN	No.		+				-		+					Н			+		-
no./	ephone Mobile																		
	irs of perience in the						W			·	1								

<sup>\*</sup>Use separate sheet, if required.

8		Existing :	
0.	Line of activity	Proposed (#)	

9. Names of Associate Concerns and Nature of Association

Name of the Associate concern	Addresses of the Associate Concern	Presently Banking with	Nature of Association	Extent of Interest as a Prop./Partner Director/or Just investor in Associate concern
			*	

10.	Relationship of Proprietor/Partner/ Director with the	
	officials of the Bank/Director of the Bank	

10(a)	Credit Facilitie	es (Existing)						
	Type of facilities	Limits (in lakhs)	Outstanding as on	Presently banking with	Security lodged	ROI	Repayment terms	
	Current Account							
	Cash Credit							
	Term Loan							
	LC/BG							
	If Banking with UPCB, customer ID to be given,							
10(b)	It is certified past and I am above.	that our unit no indebted	has not availed to any other Ba	l any loan fro nk/Financial	om any other Bank Institution other tha	/Financial n those m	Institution in the	

11	Credit Facilities (proposed)								
	Type of Facilities	Amt. Purpose for which (In lakh) required		Security offered					
				Primary security (details with approx. value to be mentioned)	Whether collateral security offered				
	Cash Credit				Yes/No				
	Term Loan				Yes /No				
	LC/BG				Yes/No				

<sup>#</sup> if a different activity other than existing activity.

Тур	e of Machine/ quipments	m loan requirer Purpose for which required	Whether imported or indigenous	Name of supplier	Total co (in ca machine basic insuran	ost of machine ise if imported a, the break-up of cost , freight, ice and customs may be given)	Contribution being more by the promote	ade e	Loan require
3. I	Details of colla	teral security offer elines banks are	ed, if any includ	Total ling 3rd party guardateral security for	antee:-	upto Rs. 5 Lak	h to MYSY	′ Unit	s)
	mmovable Prop			Are		,	/aluation		
									-
							1		
	iuarantee if offe Name	Address	Nature Connect			elephone/ Flobile No.	PAN No.		ners limit
4.	Past perfo	ormance/future	e estimates (	Actual performa	nce for to	wo previous ve	ears estim	nates	for
	current year	and projections sprojections to t	for next year to	o be provided for	r working	capital faciliti	es. Howe n on sepa	ver for rate s	or term sheet)
			Past Yea		Year I rual)	Present Ye (Estimate:	ear	Next	t in Lakh Year ctions)
	Net Sales								
	Net Profit								
	Capital (Ne	et Worth in case				_			

15	Status regarding statutory obligations						
	Statutory Obligations	Whether complied with) Write Yes/No). If not, applicable then write NA	Remarks (Any details in connection with the relevant obligation to be given)				
1.	Registration under shops and Establishment Act						
2.	Registration under SSI (Provisional/Final)						
3.	Drug License (if applicable)						
4.	Latest VAT Tax Return Filed						
5.	Latest Income Tax Return Filed						
6.	Any other statutory dues remaining outstanding	191					
7.	Any other specify						

16.	SPACE FOR THE PHOTO	SPACE FOR THE PHOTO	SPACE FOR THE PHOTO
	SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE

I/We certify that all information furnished by me/us is true; that I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application; that there is no overdue/statutory dues against me/us/promoters except as indicated in the application; that no legal action has been/is being taken against me/us/promoters that I/We shall furnish all other information that may be required by you in connection with my/our application that his may also be exchanged by you with any agency you may deemed fit and you, your representatives, representatives of the Reserve Bank of India or any other agency as authorized by you, may at any time, inspect/verify my/our assets, books of account etc. in our factory/business premised as given above.

Date		į	
Place			

#### Signature of Applicant (s)

#### For Branch use:

- 1. Application received and entered.
- 2. Acknowledgment given to applicant.
- 3. Photo & Signature of applicant should be attested/verified by Branch official.



# **Provisional Acknowledgement**

Received application for credit facility of Rs						
N WORDS)						
A system generated acknowledgment shall be sent to you						
through email and SMS on registered email and mobile phone						
containing user ID and password through which you can track						
the status of your application by logging on our corporate						
website						

Signature of Branch Official



उ०प्र0	कोआपरेटिव	बैंक	लि0,
शाखा-			

ऋण स्वीकृत पत्र
पत्रांक : दिनांक :
सेवा में,
महोदय/महोदया,
आपके द्वारा बैंक की शाखा———— को दिनांक ———— को दिये ग
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ऋण आवेदन पत्र के कम में आपको रू
प्रतिशत वार्षिक ब्याज प
स्वीकृत किया जाता है, आपके द्वारा उक्त ऋण पर सीजीटीएमएसई गारन्टी ली गयी है/नई
ली गयी है।(जो लागू न हो उसे काट दें)
उक्त ऋण बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो के अधीन अवमुक्त किया जायेगा तथ
ऋणी फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा।
भवदीय

उप महाप्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक शाखा -----



# Hypothecation of Goods/Machines/stock to secure A Demand Term Loan/Cash Credit U.P. Cooperative Bank Ltd.....

Name	
The U.P. Cooperative Bank Ltdhereinafter called ("the Bar	k"
having at the request of	
hereinafter called "the Borrowers") opened or agreed to open in the books the Bar	nk at
a Term Loan account of Rupees	
the Borrowers to remain in force untill closed by the Bank and to be secured by	
goods/machine/stock to be hypothecated with the bank it is hereby agreed between	n the
bank and the Borrowers (the Borrowers agreeing jointly ) as follows :	
1. The Boorrowers hereby hypothecated in favour of the Bank /the Stocks/ g	joods/
Machine described in general terms in the Schedule (hereinafter referred to a	s "the
hypothecated goods/machines/stocks) which expression shall include all prod	ucers,
goods, machine and moveable property of any kind belonging to the Borr	owers
which now or hereinafter from time to time during this security shall be brough	ght in,
stored or be in or about the Borrowers premises or godowns at	or
wherever else the same may be a security for the payment by the Borrowers	
bank of the balance due to the bank at any time or ultimately on the closing	
said Term Loan account and for the payment of all debits and liabilities month	ioned
in the 13th clause hereof. The expression "the balance due to the Bank" in thi	s and
the subsequent clause of this Agreement shall be taken to include the p	ricipal
money from time to time due on the said Trem Loan Account and also all in	terest
thereon calculated from day to day at the rate hereinafter mentioned an	d the
amount of all charges and expenses which the bank may have paid or incurr	ed in
any connection with the hypothecated goods or the sale or disposal there of.	
2. That the hypothecated goods/machines/stocks and all sales realisation	and
Insurance proceeds there of shall be held as the Bank's exclusive property spe	cially
appropriated to this security and the Borrowers will not create any mortage	jage,

which would prejudice this security, and the Borrowers shall not part with the hypothecated goods save by way of sale in ordinary course of the Borrowersbusiness and as hereinafter provided nor shall any sale be made after prohibition in writing from the bank against selling.

3. That the Borrowers shall with the previous consent of the Bank be at liberty from time to time to sell or dispose of in any manner the hypothecated goods/stocks/machines or any part thereof provided the advanced value of such

goods/stocks/machines in paid into the said account or goods of a similar nature to

charge lien or encumbrance effect the same or any part thereof not do anything

those mentioned in the schedule hereto or any of the same, and of atleast equal value, are substituted for the goods so sold or disposed of after approval of the Bank obtained in writing.

- 4. The Borrowers shall permit the Bank their agents and employees from time to time and at all times to enter upon any godowns or premises wherein the hypothecated goods or any part thereof may for the time being be and to view inspect and value the same and take inventories thereof or to take possession thereof and render to the Bank and their employees all facilities as may be required for any of the purposes afore said.
- The borrowers shall continuously pay all rents, rates, taxes and other outgoings of the godowns and premises where in the hypothecated goods shall be kept the same free from any distress.
- 6. That the hypothecated goods/machines/stocks shall be insured against fire risk by the borrowers in some insurance office or offices approved by the Bank and in the name and for the sole benefit of the Bank for their full market value and that the Borrowers will on demand delivery to the bank all policies for and receipts for premium paid on such insurance endorsed and assigned with the full benefit there of in favour of the Bank should be Borrowers fail to so insure or fail to deliver the policies or Receipts for premium duly endorsed as aforesaid three days after demand the Bank shall be at liberty to effect such insurance at the expense of the Borrowers.
- 7. That all sums received under any such insurances as aforesaid shall be applied in or towards the liquidation of the balance due to the Bank for the time being and in the event of there being a surplus the same shall be applied as provided by the 13<sup>th</sup> clause hereof.
- 8. That the Borrowers shall make and furnish to the Bank all statements and returns of the cost and market value of the hypothecated goods/machines/stocks and a full description thereof and produce such evidence in support thereof as the Bank may from time to time require and shall maintain in favour of the Bank a margin of percent between the market value from time to time of the hypothecated goods/machines/stocks and the balance due to the Banks for the time being. Such margin shall be calculated on the open market value of the hypothecated goods/machines/stocks as fixed by the bank from time to time and shall be maintained by the Borrowers either by the hypothecation of further goods to be approved by the Bank in the writing or by cash payment by the Borrowers immediately on the market value for the time being of the hypothecated goods becoming less than the aggregate of the balance due to the Bank plus the amount of the margin calculated above.
- 9. That interest at the rate of ...... percent per annum with rests shall be calculated and charged on the Daily balance in the Bank's favour due upon the said term loan Account until the same is fully liquidated and shall be paid by the Borrowers as and when demanded by the Bank.
- 10. That on demand by the Bank the Borrowers shall pay to the Bank the balance then due to the Bank on the said Term Loan Account together with all further interest at

- the rate above mentioned and the amount of all further charges and expenses if any to the date to payment provided that nothing here in this clause contained shall be deemed to prevent the Bank from demanding payment of the interest for the time being due at the above mentioned rate without at the same time demanding payment of the Balance due to the Bank exclusive of such interest.
- 11. The Bank and their officers and Agent shall be entitled at any time as if absolute owners and without notice to the Borrowers but at the Borrowers risk and expenes and if so required as attorneys for and in the name of the Borrowers to enter and remain at any place where the hypothecated goods/machines/stocks shall be and to take possession of, recover and receive the same and/or appoint any officerof the Bank as receivers or receiver of the goods/machines/stocks and/or sell by public auction or private contract otherwise dispose of or deal with all or any part of the hypothecated goods/machines/stocks and to enforce realise settle compromise and deal with any of the rights aforesaid without being bound to exercise any of these powers or being liable for any loss in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit against the Borrowers and to apply the net proceeds of such sale in or towards liquidation of the balance due to the Bank and the Borrowers hereby agree to accept the or Bank's accounts sales of realisation and to pay any short fall or deficiency therein shown.
- 12. That if the net sum realised by such sale be insufficient to cover the balance then due to the Bank, the Bank shall be at liberty to apply any other money or moneys in the hands of the Bank standing to the credit of or belonging to the Borrowers or any one or more of them in or towards payment of the balance for the time being due to the Bank and in the event of there not being any such money or moneys as aforesaid in the hands of the Bank or in the event of such money or moneys being still insufficient for the discharge in full of such balance the borrowers promise and agree forthwith on production to them of an account to be prepared and signed as in the 14<sup>th</sup> clause hereinafter provided to pay any further balance which may appear to be due by the Borrowers thereon, PROVIDED ALWAYS that nothing herein contained shall be deemed to negative qualify or otherwise prejudicially affect the right of the Bank which it is hereby expressly agreed the Bank shall have to recover from the Borrowers the Balance for the time being remaining due from the Borrowers to the Bank upon the said Term Loan Account not with standing that all or any of the said hypothecated goods/machine/stock may not have been realised.
- 13. That in the event of there being a surplus available of the net proceeds of such sale after payment in full of the balance due to the Bank it shall be lawful for the Bank to retain and apply the said surplus together with any other money or moneys belonging to the Borrowers or any one or more of them for the time being in the hands of the Bank in or under whatever account as far as the same shall extend against in or towards payment or liquidation of any and all other moneys which shall be or may became due from the Borrowers or any one, or more of them whether solely or jointly with any other person or persons, firms or company to the Bank by way of Loans, Discounted Bills, Letters of Credit, Guarantees Charges or of any other debt or liability including Bills, Notes, Credits and other obligations current

though not then due or payable or other demands legal or equitable which the Bank may have against the Borrowers or any one or more of them or which the law of set off or mutual credit would in any case admit and whether the Borrowers or any one or more of them shall become or be adjudicated Bankrupt or insolvent or be in liquidations or other wise and interest hereon from the date on which any and all advance or advances in respect there of shall have been made at the rate or respective rates at which the same shall have been so advanced.

- 14. The Borrowers agree to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed to be due from then to the Bank under this agreement a statment of account made out from the Books of the Bank and signed by the Manager or other duly authorised officer of the Bank without the production of any other voucher, document or paper.
- 15. The Borrowers hereby declare that all the hypothecated goods/machine/stock are the absolute property of the Borrowers at the sole disposal of the Borrowers and Free from any prior charge or incumbrance and that all future goods/machine/stock and property hereunder shall be likewisetheir unencumbered undisposed property and the the Borrowers have not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby they are in any wise prevented from hypothecating the hypothecated goods/machines/stocks in manner aforesaid and that the Borrowers will do and execute at their costs all such acts and things for further and more particularly assuring the hypothecated goods/machines/stocks or any part there of to the Bank as shall be required by the Bank and for giving better effect to these presents the Borrowers authorise and irrevacably appoint the Bank and/or their officers as attorneys and attorney for and in the name of the Borrowers to act on behalf of the Borrowers and to execute and do any act assurance and things which the Borrower sought to execute and to under the so presents and generally to use the name of the Borrowers in the exercise of the powers hereby conferred.
- 16. Provieded always that this Agreement is not to prejudice the rights or remedies of the Bank against the Borrowers irrespective and independent of this Agreement in respect of any other advances made or to be made by the Bank to the Borrowers.
- 17. In case the Borrowers shall be a firm or members of a firm no change whatsoever in the constitution of such firm during continuance of this agreement shall in pair or discharge the liability of the Borrowers or any one or more of them thereunder.
- 18. Any dispute arising as to the interpretation of these rules shall be referred to the Registrar Cooperative Societies, Utter Pradesh, whose decision in the matter shall be final.

IN	WITNESS \	WHEREOF,	the Borro	wers have	hereunto	set	their	hands	this	
da	y of	the Chr	istian Yea	r Two Tho	usand		**			

Signature of Borrower



## मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (एमवाईयूवीए) हेतु ऋण का अप्रेजल

1	एमवाईयूवीए यूनिट का नाम. एवं रजिस्टर्ड पता	
2	एमवाईयूवीए यूनिट का मोबाईल नम्बर तथा वैध ईमेल आईडी	
3	एमवाईयूवीए यूनिट के गठन की तिथि	
4	एमवाईयूवीए यूनिट के मालिक का नाम एवं पता	
5	एमवाईयूवीए यूनिट का पैन नम्बर/ जीएसटीएन एव उद्योग आधार नम्बर	
6	एमवाईयूवीए यूनिट के रजिस्ट्रेशन की तिथि एवं नम्बर	

7	एमवाईयूवीए यूनिट के निवेश एवं टर्न ओवर के आधार पर यूनिट माइको/ स्मॉल/मीडियम में से किस श्रेणी में है।	
8	एमवाईयूवीए यूनिट किस एक्ट में रजिस्टर्ड है।	
9	एमवाईयूवीए यूनिट किस क्षेत्र में व्यवसाय कर रही है।	
10	एमवाईयूवीए यूनिट को ऋण अप्रेजल की तिथि	
11	अप्रेजलकर्ता का नाम	
12	एमवाईयूवीए यूनिट की बैक शाखा से दूरी	
13	एमवाईयूवीए यूनिट का बोर्ड गठित है अथवा नहीं	
14	एमवाईयूवीए यूनिट बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
15	एमवाईयूवीए यूनिट बोर्ड सदस्य ब्लड रिलेशन में अथवा नहीं	
16	एमवाईयूवीए यूनिट के बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
17	एमवाईयूवीए यूनिट में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।	
18	एमवाईयूवीए यूनिट बोर्ड गठन की तिथि	
19	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा सीजीटीएमएसई की गारण्टी ली जायेगी अथवा नहीं	
20	एमवाईयूवीए यूनिट सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित व्यवसाय तो नहीं कर रहा है	
21	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा नियामक संस्थाओं से एनओसी प्राप्त कर ली गयी है तो उन संस्थाओं का नाम	
22	बैंक में एमवाईयूवीए यूनिट ने अपना चालू / सीसी खाता खुलवाया है या नहीं	

23	एमवाईयूवीए यूनिट के खाते का संचालन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	
24	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा ऋण हेतु आवेदित धनराशि	
25	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा आवेदित धनराशि का प्रकार	
	(टर्म लोन) (वर्किंग कैपीटल)	रू0लाख रू0लाख
26	ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि	
	(टर्म लोन)	रु0लाख
	(वर्किंग कैपीटल)	रू0लाख
27	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु डी.पी.आर. दी गयी है अथवा नहीं	
28	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्सशीट दी गयी है अथवा नहीं	
29	बैलेन्सशीट के आधार पर एमवाईयूवीए यूनिट पिछले 03 वर्षों में लाभ पर है अथवा हानि पर	
30	एमवाईयूवीए यूनिट के नेटवर्थ धनात्मक है अथवा ऋणात्मक (नेटवर्थ ऋणात्मक होने पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।)	
31	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा स्वयं. उपलब्ध कराया जाने वाला मार्जिन	
	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से न आच्छादित ऋण के भाग के लिए कितनी कोलेट्रल सिक्योरिटी दी गयी है।	
33	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा प्राथमिक सिक्योरिटी के तौर पर कितनी धनराशि प्लान्ट मशीनरी हेतु दी जा रही हैं।	
34	सी0 के0 माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एमवाईयूवीए यूनिट को ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि	

23	एमवाईयूवीए यूनिट के खाते का संचालन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	
24	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा ऋण हेतु आवेदित धनराशि	
25	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा आवेदित धनराशि का प्रकार	
	(टर्म लोन)	रू0लाख
	(वर्किंग कैपीटल)	रू0लाख
26	ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि	
	(टर्म लोन)	रू0लाख
	(वर्किंग कैपीटल)	रू0लाख
27	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु डी.पी.आर. दी गयी है अथवा नहीं	
28	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्सशीट दी गयी है अथवा नहीं	
29	बैलेन्सशीट के आधार पर एमवाईयूवीए यूनिट पिछले 03 वर्षों में लाभ पर है अथवा हानि पर	
30	एमवाईयूवीए यूनिट के नेटवर्थ धनात्मक है अथवा ऋणात्मक (नेटवर्थ ऋणात्मक होने पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।)	
31	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा स्वयं. उपलब्ध कराया जाने वाला मार्जिन	
32	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से न आच्छादित ऋण के भाग के लिए कितनी कोलेट्रल सिक्योरिटी दी गयी है।	
33	एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा प्राथमिक सिक्योरिटी के तौर पर कितनी धनराशि प्लान्ट मशीनरी हेतु दी जा रही हैं।	
34	सी0 के0 माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एमवाईयूवीए यूनिट को ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि	

	टर्म लोन वर्किंग कैपीटल लोन	रू0लाख
		रू0लाख
35	सिबिल कम्पनी द्वारा दी गयी केडिट सीएमआर रेटिंग/फिट रेटिंग आदि का स्कोर	
36	सीएमआर रेटिंग / फिट रेटिंग आदि के अनुसार ऋण स्वीकृत हो सकता है अथवा नहीं	
37	क्या एमवाईयूवीए यूनिट द्वारा किसी अन्य संस्थान से ऋण लिया गया है, यदि लिया गया है तो उस ऋण मे डिफाल्ट तो नहीं है	
38	<ul> <li>एमवाईयूवीए यूनिट के मालिक / प्रोपराईटर आदि का सिबिल स्कोर कितना है।</li> <li>एमवाईयूवीए यूनिट के मालिक / प्रोपराईटर / पार्टनर्स / गारण्टर द्वारा लिये गये ऋण डिफाल्ट तो नहीं किये गये हैं।</li> </ul>	
39	बैंक द्वारा निर्गत एमएसएमई नीति परिपत्र सं0-बैंकिंग/ एमएसएमई/एफ-304/ 2022-23/579, दिनांक-22.02.2024 में निर्गत फाइनेन्शियल रेशियो (बिन्दु सं0-31) के अनुसार कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं	
	मेरे द्वारा (नामएमवाईयूवीए यूनिट जिसका नाग है, से सम्बन्धित समस्त त है, का सत्यापन कर लिया गया है । अतः मै ) एमवाईयूवीए यूनिट को र	स्तार्थों जैया कि प्रणात पर्व सेवि में
	पदनाम अप्रेजल का दिन	कारी का नाम